

13-12-18

पत्रावली आज सायल के प्रार्थना- पत्र पर पेश  
हुई। वाजी द्वारा डावा विज्ञा किया जा चुका है।  
साथ ही स्थगन आदेश समाप्त करने की  
प्रार्थना की है। अतः स्थगन आदेश लारीकी  
20.11.18 निरस्त किया जाता है। पत्रावली केस  
अगर होकर इन्फिल इफर हो

(राजवीर सिंह पांडव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नगर (भरतपुर)